संख्या-20/2018/445/26-3-2018-10(14)/2007

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी 2018

विषयः-गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में चयनित अभ्यर्थियों की लम्बित देयता का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1027स0क0/विकास/कोचिंग/दिल्ली-अनु0ज0(16-17) दिनांक-01.08.2017 एवं पत्रांक-1378/स0क0/विकास/कोचिंग/दिल्ली-अनु0ज0(16-17) दिनांक-28.09.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त गत वित्तीय वर्ष 2017-18 आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुये अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की लम्बित देयता धनराशि रू0-26.95 लाख (रू0 छब्बीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता होने की शर्त पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रवि शंकर मिश्र
अन सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2018/445(1)/26-3-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2

6.राज्य योजना आयोग-1/2

7.निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

9.गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।